



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04092025-265971
CG-DL-E-04092025-265971

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3944]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 4, 2025/भाद्र 13, 1947

No. 3944]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 4, 2025/BHADRA 13, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2025

का.आ. 4056(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.525(अ) दिनांक 28/01/2025 & शुद्धिपत्र का.आ.3058(अ) दिनांक 08/07/2025, जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 30/01/2025 & 09/07/2025 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में **PIPELINE FOR DRILL SITE ELN#05 TO NANDASAN GGS** तक ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, द्वारा, गुजरात राज्य के अम्बालियासन, जोरनांग, मंडाली एवं नवी सेधावी - गांव, तहसील - मेहसाणा, एवं वडपुरा & कैयल- गांव, तहसील - कडी, एवं जिला - मेहसाणा में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 05/02/2025 & 14/07/2025 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है; और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

पाइप लाइन रूट मैप फॉर ड्रिल साइट ईएलएन सं. 05 से नंदासन जीजीएस तक

तालुका:- मेहसाणा

जिला:- मेहसाणा

राज्य:- गुजरात

गाँव का नाम		सर्वे / ब्लॉक न.	भाग यदि कोई हो	क्षेत्रफल		
				हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1		2	3	4		
1	अम्बालियासन	545		00	08	50
2		540		00	04	80
3		613		00	04	25
4		508		00	03	00
5		507		00	03	70
6		506		00	00	40
7		611		00	05	50
8		476		00	12	00
9		477		00	08	70
10		478		00	10	00
11		481		00	11	50
12		502		00	29	00
13		501		00	03	95
14		491		00	17	00
15		492		00	20	10
16	जोरनांग	1240		00	33	20
17		1239		00	09	20
18		1233		00	43	30
19		1232		00	20	50
20		1231		00	17	80
21		1227		00	27	65
22		1620		00	03	30
23		1082		00	64	70

24		1095		00	19	00
25		1081		00	03	00
26		1014		00	07	40
27		1018		00	01	60
28	मंडाली	368		00	34	50
29		369		00	43	00
30	नवी सेधावी	311		00	15	00
31		312		00	24	00
32		318		00	00	50
33		319		00	55	90
34		327		00	14	00
35		574		00	02	70
36		280		00	90	00
			कुल	06-72-65		

पाइप लाइन रूट मैप फॉर ड्रिल साइट ईएलएन सं. 05 से नंदासन जीजीएस तक

तालुका:- कडी

जिला:- मेहसाणा

राज्य:- गुजरात

गाँव का नाम		सर्वे / ब्लोक न.	भाग यदि कोई हो	क्षेत्रफल		
				हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1		2	3	4		
1	वडपुरा	209		00	25	50
2		210		00	10	00
3		212		00	17	90
4		213		00	11	00
5		214		00	02	60
6		221		00	12	80
7		220		00	26	20
8	कैयल	119		00	30	50
9		118		00	08	20
10		117		00	07	30
11		116		00	07	30
12		109		00	22	80
13		107		00	07	65
14		106		00	10	80
			कुल	02-00-55		
			कुल क्षेत्रफल	08-73-20		

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/11/2024-इएक्सपीएल-पीएनजी(ई-51475)]

सचिन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2025

S.O. 4056(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 525(E) Dated 28/01/2025 & Corrigendum S.O. No. 3058(E) Dated 08/07/2025 issued under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra-ordinary Gazette of India dated 30/01/2025 & 09/07/2025 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline from **ELN#05 TO NANDASAN GGS** in AMBALIYASAN, JORNANG, MANDALI & NAVI SEDHAVI villages, Tal. Mehsana, VADPURA & KAIYAL villages, Tal. Kadi & Dist. Mehsana in the State of Gujarat to be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas copies of the said Extra-ordinary Gazette notification were made available to the public up to dated: 05/02/2025 & 14/07/2025

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Ltd. free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd., shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

PIPE LINE FOR DRILL SITE ELN#05 TO NANDASAN GGS

TALUKA:- MEHSANA

DISTRICT:- MEHSANA

STATE:- GUJARAT

Name of village		Survey No./Block No.	Part if any	Area		
				Hq.	Are	Sq. mtr.
1		2	3	4		
1	Ambaliyasan	545		00	08	50
2		540		00	04	80
3		613		00	04	25
4		508		00	03	00
5		507		00	03	70
6		506		00	00	40
7		611		00	05	50
8		476		00	12	00
9		477		00	08	70
10		478		00	10	00
11		481		00	11	50
12		502		00	29	00
13		501		00	03	95
14		491		00	17	00
15		492		00	20	10
16	Jornang	1240		00	33	20
17		1239		00	09	20
18		1233		00	43	30
19		1232		00	20	50

20		1231		00	17	80
21		1227		00	27	65
22		1620		00	03	30
23		1082		00	64	70
24		1095		00	19	00
25		1081		00	03	00
26		1014		00	07	40
27		1018		00	01	60
28	Mandali	368		00	34	50
29		369		00	43	00
30	Navi Sedhavi	311		00	15	00
31		312		00	24	00
32		318		00	00	50
33		319		00	55	90
34		327		00	14	00
35		574		00	02	70
36		280		00	90	00
			Total	06-72-65		

PIPE LINE FOR DRILL SITE ELN#05 TO NANDASAN GGS

TALUKA:- KADI

DISTRICT:- MEHSANA

STATE:- GUJARAT

Name of village		Survey No./Block No.	Part if any	Area		
				Hq.	Are	Sq. mtr.
1		2	3	4		
1	Vadpura	209		00	25	50
2		210		00	10	00
3		212		00	17	90
4		213		00	11	00
5		214		00	02	60
6		221		00	12	80
7		220		00	26	20
8	Kaiyal	119		00	30	50
9		118		00	08	20
10		117		00	07	30
11		116		00	07	30
12		109		00	22	80
13		107		00	07	65
14		106		00	10	80
			Total	02-00-55		
			Total Area	08-73-20		

[F. No. Expl-13011(26)/11/2024-EXPL-PNG (E-51475)]

SACHIN KUMAR, Under Secy.